FR No. 24314
Dated 27-6-18

26106
SS-II (Budg)
SJJ-II

IMMEDIATE/CONFIDENTIAL
COUNCIL OF MINISTERS

Subject:- Annual Administrative Report of the Jails Department Haryana for the year 2016-17.

Will the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Jail Department, kindly refer to his/her U.O.No.31/63/2017-4JJ-II, dated 11.06.2018, on the subject noted above?

2. The Council of Ministers in its meeting held on 26.06.2018 has taken the following decision in this matter :-

27/6/18
455-II

"The Report was noted."

3. As per Printing & Stationary Department letter dated 05.04.2017 only Review is to be published in the Haryana Govt. Gazette and Administrative Report may be published online on your departmental website.

4. The Administrative Department is requested to kindly implement the decision of the Council of Ministers at the earliest and to send a copy of the orders issued in this regard, to the Cabinet Section, within a fortnight, positively.

5. It is requested to keep in view the Government instructions contained in U.O.No. 5/313-Cabinet-88, dated 2.7.1991 while implementing the decision of the Council of Ministers.

Superintendent, Cabinet
for Secretary, Council of Ministers, Haryana.

To

The Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Jail Department.

U.O.No.9/170/2018-2 Cabinet,

Dated, Chandigarh, the 26th June, 2018.

CONFIDENTAL

MEMORANDUM

Minister-in-charge Chief Minister, Haryana

Administrative Secretary Additional Chief Secretary to Govt.Haryana, Jails Department.

Subject:- **Annual Administrative Report of the Jail Department, Haryana for year 2016-17 alongwith its review and critique.**

The Annual Administrative Report of the Jail Department, Haryana for the year 2016-17 alongwith its Review and Critique is submitted for consideration and approval by the Council of Ministers. After approval, the report and review will be got published in the Haryana Government Gazettee.

2. This memorandum is placed before the Council of Ministers in compliance with Government instructions contained in Haryana Government U.O. 16/22/2005-4PP, dated 04.05.2005.

3. Prior approval of Hon'ble Chief Minister has been obtained for placing this matter before the Council of Minister.

(Dr.S.S.Prasad,IAS)
Additional Chief Secretary to Govt.Haryana,
Jails Department.

Dated, Chandigarh
22-05-2018

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPARTMENT FOR THE YEAR 2016-17.

In the year 2016-17 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails Department : -

1.	Central Jails Ambala, Hisar I & Hisar II	03
2.	District Jails Rohtak, Gurugram, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonepat, Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Faridabad, Narnaul, Palwal, Panipat and Jhajjar	16
3	Jail Training School,Karnal	01
4.	Office of the District Probation Officers Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurugram, Jind, Bhiwani, and Sirsa.	08
	TOTAL	28

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the state as on 01.01.2016 were 18,269. During the calendar year 2016, total53768 prisoners were admitted in the jails at different point of time. At the end of the Calender year (31st December 2016) 17654 prisoners were lodged in all the jails in Haryana.

3. The number of convicts in Jails were7780 as on 01.01.2016. During the calendar year 2016,prisoners numbering additional 5697 convicted either by the courts in Haryana or came on transfer from other places were admitted in the jails in Haryana. During the calendar year 2016,total 6260 convicts were released from jails and7,217 convicts remained lodged in jails at the end of the calendar year (31st December 2016). The number of civil prisoners as on 31-12-16 was 67.

4 The number of undertrial prisoners as on 01.01.2016was 10,489. During the calendar year 2016, additional 48,071 undertrial prisoners were admitted in Jails. Out of total 59,986 undertrial prisoners, 48,130 were released on bail/appeal/acquittal or have been convicted etc. A total of 10,430 undertrial prisoners remained lodged in jails at the end of the year (31st December 2016).

5 Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.01.2016was 723. During the calendar year 2016,additional1980women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails). Out of them 2,048 women prisoners were either released or transferred to other Jails. Therefore, number of women prisoners in all the jails at the end of the year was 655(31st December 2016). 49 children were lodged along with their mothers as on 31-12-2016.

6. During the year 2016-17 a sum of Rs. 202,25,77,000/- were spent on security management, diet and health care etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 1,14,567/-(Rs.314/- per prisoner per day). During the previous year 2015-16 a sum of Rs. 1,78,75,93,000/- were spent on the the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 86,113/- (Rs. 235.92 per prisoner per day).During this financial year 2016-2017 a sum of Rs.27,49,03,118/-/- were spent on the diet of the prisoners. Thus of per capita annual expenditure on food was Rs. 15,571/- (Rs. 42.60/- per prisoner per day).

7. During the year 2016-17, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation facilities inside the Jails. T.B patients were isolated and kept in different parts of the jail hospitals. They were given regular medical treatment, under the DOT Scheme. In order to improve the general sanitation, Indian and EuropeanComodes with under ground sewerage system were provided for the prisoners. Ceiling Fans were provided in the barracks for the prisoners and most of the jails have been connected with separate electricity lines. Diesel Generator Sets have been provided in all the jails for emergency light arrangements.

During the year under report, the standard of discipline in the jails was satisfactory. The details of incidents of indiscipline which came to notice are as under: -

a)	Quarrels/Brawls	During the year 2016-17, there were 03 quarrel/brawl in Jails of the state.
b)	Hunger Strike	During the year 2016-17, No prisoner resorted to hunger strike.
c)	Escape	During the year 2016-17, Noincident of escape occurred from the Jails of Haryana.
d)	Attack	During the year 2016-17, there was no case of attack by the prisoners.

219 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 4,780 prisoners were released on parole/ furlough during the calendar year 2016. The prisoners are kept in the jails nearest to their home as far as possible. The prisoners whose conduct in jails was adjudged good and who were otherwise eligible as per Jail Mannual were awarded special remission as per the rules by the concerned Superintendent Jail. In the year 2016, special remission was also granted by the HIS EXCELLENCY the Governor of Haryana to the old age convicts of 65 years and above on the eve of Golden Jublee of Haryana Day Ist November and due to on 1,11,2016 and due to this men and women old age prisoners were released.

8. For mental and physical development of the prisoners, arrangements for lectures for spiritual and physical well being of the prisoners were made. Arrangements for morning and evening prayers, prisoner meetings, media programmes, indoor and outdoor games and practice of yoga had also been made. 21st June was observed as the International Yoga Day.505 lectures, 161 dramasand 161 cultural programmes were organized in the jails during the year under report. For the recreation of prisoners, television sets with cable connection have also been allowed.

9. During the year 2016-17, total 174 prison officers were imparted training in various Institutions.All the staff recruited in the Department undergo induction training. Regular refresher courses are also held at Institute of Correctional Administration, Chandigarh, Haryana Institute of Public Administration, NICFS and our own Jail Training School at Karnal. This Department has conducted following four courses at District Jail, Gurugram under the aegis of BPR&D during the year 2016-2017 in which Prison Officers from various States have participated :-

S.No.	Course and dates	Period of training
1	Vertical Interaction Course-I.	26-9-2016 to 30.9.2016
2	Seeing is learning course-I	21-11-2016 to 23-11-2016
3	Vertical Interaction CourseII.	9-1-2017 to 11.1.2017
4	Seeing is learning course-II	20-2-2017 to 24-2-2017

. 10. The prisoners were provided facilities for purchasing commodities at reasonable rates for their personal use such as Sugar, tea, gur, Surf, Biscuits, Dhoop, Cold Drinks, Milk,Undergarmets,Toiletries, Namkeen, Dahi, Dalia, Shoes, Chappals, Powder,

Pickle, Jalebi, Samosa, Gulab Jamun, Pakora etc. from the canteen opened in the Jails. These canteens have been opened in all the Central Jails and District Jails and are being run as per Jail Canteen Management Rules 1965. New Software has been installed at all the jails to run Cash Less System in the Canteen w.e.f. 1.4.2015 in order to have more transparency as well as to provide better facilities to the inmates at reasonable prices. All goods are purchased through well known wholesale dealers like Metro,Best price Shops etc. at reasonable rates.

11. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distribution of ration and other goods, running of canteen, cultural activities,education , yoga etc. The prisoners were given training in industrial and agricultural practices according to their choice by arranging training programme from time to time. With the assistance of the Technical Education Department, vocational training programmes in 16 jails have been started in two or three trades like Plumbing, Electrician and Computer Data Operator. Approximately 4411 prisoners have already been enrolled under the scheme for vocational training.

12 Prison Inmate Calling System have been installed in all the jails except the very small ones namely Panipat, Palwal and Rewari. Now the Govt. has increased the timings of calling for each prisoners from 10 minutes to 35 minutes weekly and 60 minutes weekly for female inmates. It would help the family members of prisoners residing at a long distance to economize ontheir travel expenses and time.

13 New Interview Rooms with modern facilties have been installed at the jails.

(Dr. S.S. Prasad, IAS)
Additional Chief Secretary to Govt Haryana
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.12.2016 there was a provision for accommodation for18096prisoners in Haryana, where as the number of prisoners as on 31-12-2016 were 17654. During this year the situation of accommodation/capacity as compared to the number of inmates was satisfactory. At present authorized accommodation is sufficient to accommodate present prison population. However construction of new jails at Panipat and Rewari had been started to accommodate about 2000 more priosners. The construction work of Female barracks in District Jail, Sonepat had beencompleted.. The construction work of barracks to accommodate prisoners are under construction..

2. In the year 2016-17,no incident of escape occurred from the Jails of Haryana. There were3cases of quarrels/scuffle in jails of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack by the prisoners during the calender year.

3. In the year calendar year 2016, total 219life term prisoners were released prematurerly. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 4,780 prisoners were released on parole/ furlough.

(Dr. S.S. Prasad, IAS)
Additional Chief Secretary to Govt Haryana
Jails Department.

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यकारी मंत्री	मुख्यमंत्री, हरियाणा
प्रशासकीय सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग

विषयः– वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2016–17 इसकी समीक्षा समालोचना सहित ।

....

जेल विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, समीक्षा तथा समालोचन सहित, मन्त्री परिषद् के विचारार्थ तथा अनुमादनार्थ के लिए प्रस्तुत की जाती है। अनुमोदन के पश्चात् समीक्षा को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जाऐगा।

2. सरकार की हिदायते अशाः क्रमांक 16/22/2005–4पी0पी0 दिनांक 04.05.2005 की अनुपालना में यह ज्ञापन मन्त्री परिषद् के सम्मुख प्रस्तूत किया जाता हैं।

3. इस मामले को मन्त्री परिषद् के सम्मुख रखने हेतू माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हैं।

दिनांक चण्डीगढ़
22-05-2018

(डा0 एस0एस0 प्रसाद, भा0प्र0से0)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित संस्थायें जेल विभाग के अधीन कार्यरत रही :–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार 1 एवं हिसार :	:	03
2.	जिला जेल रोहतक, करनाल, गुरूग्राम, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर	:	16
3.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	:	01
4.	जिला परिवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुरूग्राम, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	:	08
	कुल	:	28

2. राज्य की सभी जेलों में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.01.2016 को 18,269 रही। कैलेण्डर वर्ष 2016 के दौरान कुल 53,768बन्दी विभिन्न समय पर जेलों में दाखिल हुए। वर्ष 2016 के अन्त में 31.12.2016 को हरियाणा राज्य की जेलों में 17,654 बन्दी ष्येषश रह गये।

3. कैदी बन्दियों की संख्या 01.01.2016 को 7,780 थी। कैलेण्डर वर्ष 2016 में 5,697 अतिरिक्त कैदी बन्दी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। कैलेण्डर वर्ष 2016 के दौरान कुल 6,260 बन्दी जेलों से छोडे गये । इस प्रकार कैलेण्डर वर्ष 2016 के अन्त में दिनांक 31.12.2016 को कुल 7,217 कैदी बन्दी जेलों में रह गये। दिनांक 31.12.2016 को 67 सिविल बन्दी थे ।

4 विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.01.2016 को 10,489 थी। इस वर्ष 2015 में जेलों में 48,862 अतिरिक्त विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये। कुल 59,986 विचाराधीन बन्दियों में से 48,071 विचाराधीन बन्दी बेल/अपील/बरी इत्यादि पर रिहा किये गये और वर्ष 2016 के अन्त में 31.12.2016 को 10,430 विचाराधीन बन्दी जेल में शेष रहे गये ।

5 हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.01.16 को महिला बन्दियों की संख्या 723 थी वर्ष 2016 के दौरान 1980 अतिरिक्त महिला बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे जेलों से बदल कर आये । 2048 महिला बन्दियों को रिहा किया या दूसरी जेलों में भेजा गया इसलिये वर्ष 2016 के अन्त में 31.12.2016 को महिला बन्दियों की संख्या 65 थी। दिनांक 31.12.216 को 49 बच्चे जेलों में अपनी माता के साथ रखे हुये थे।

6. बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष 2016–17 में 202,25,77,000/- रूपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 97,848/– रूपये हुआ (1,14,567/- (Rs.314/-रूपये प्रति बन्दी प्रति दिन)। बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में

पूर्व वर्ष 2015–16 में 1,78,75,93,000 रूपये खर्च किये गये । इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 97,848 रूपये हुआ (268 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन) वर्ष 2016–17 में बन्दियों में बन्दियों के खाने पर 27,49,03,118/– खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसत खर्चा 15,799 हुआ (42.70 रूपये प्रति बन्दी प्रति दिन)।

7. बन्दियों का स्वास्थ्य 2016–17 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई व शौचालय सुविधायों की ओर विषेष ध्यान दिया गया तपेदिक के रोगियों को जेल के हस्पतालों में अलग रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध है । जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतू बन्दियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शौचालयों का प्रबन्ध है और सभी ष्शौचालयों में देसी व युरोपिय शौचालय सीटे लगी हुई हैं। बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटायें गये व सफाई का विषेष ध्यान रखा गया। बन्दियों की बैरकों में बिजली के पंखे लगाये हुऐ है। अधिकतर जेले विषेश बिजली लाईनों से जोडी गई है और आपात व्यवस्था हेतु प्रत्येक जेल मे जैनरेटर सैटो की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा। बन्दियों की अनुशासनहीनता का ब्यौरा, निम्न प्रकार से हैः–

क)	झगडे के मामले	–	वर्ष 2016–17 भर में राज्य की सभी जेलों पर 03 उपद्रव हुये।
ख)	भूख हड़ताल	–	वर्ष 2016–17 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	–	वर्ष 2016–17 में हरियाणा की जेलों से फरारी की घटना नहीं हुई।
घ)	आकमण	–	वर्ष 2016–17 में बन्दियों द्वारा कोई आकमण नहीं हुआ।

कैलेण्डर वर्ष 2016 में 219 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 4780 बन्दियों को इस वर्षके दौरान पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया। जहां तक संभव हो सका बन्दियों को उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता हैं। जिन बन्दियों ने अच्छा कार्य किया तथा जो बन्दी जेल मैनुअल के अनुसार माफी के पात्र थे उन्हे सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा विषेष माफी नियमानुसार दी गई । Golden Jublee of Haryana के उपलक्ष्य में 1.11.2016 मे महामहिम राज्यपाल एवं राज्य सरकार द्वारा 65 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के महिला एवं पुरूष कैदियों को माफी प्रदान की गई ताकि राज्य की जेलों से बुजर्ग महिला एवं पुरूष को रिहा किया जा सके ।

8. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये आध्यामिक और शारीरिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल प्रार्थना सभाओं, बन्दी सभाओं, सांस्कृतिक कार्यकम, खेलों के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। 21 जुन अर्न्तराट्रीय योग दिवस के रुप मे मनाया गया। इस वर्ष 505 व्याख्यान, 161 ड्रामें और 161सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये गये। बन्दियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में टेलीविजन केबल सहित सैट की भी अनुमति प्रदान की गई ।

9. वर्ष 2016–17 मे कुल 174 अधिकारियों ने विभिन्न संस्थाओं मे प्रशिक्षण लिया। विभाग मे सभी श्रेणी के नवनियुक्त स्टाफ को विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया गया । आई0सी0ऐ चण्डीगढ, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, एन0आई0सी0एफ0एस0 तथा इस विभाग के जेल प्रशिक्षण संस्थान, करनाल मे नियमित तौर पर रैफरेशर कोर्स आयोजित करवाये गये । वर्ष 2016–17 मे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की तत्वाधान मे निम्नलिखित चार प्रशिक्षण जिला जेल, गुरुग्राम मे करवाये गये जिसमे विभिन्न राज्यो के जेल अधिकारीयो ने भाग लिया :–

कम संख्या	कोर्स का नाम	अविध
1	वर्टिकल इंटरऐक्शन कोर्स	26-9-2016 to 30.9.2016
2	सीइंगि इज लर्निग	21-11-2016 to 23-11-2016
	वर्टिकल इंटरऐक्शन कोर्स	9-1-2017 to 11.1.2017
	सीइंगि इज लर्निग	20-2-2017 to 24-2-2017

10. बन्दियों को उचित मूल्य पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, गुड, बिस्कूट, धूप, दूध, अन्डरवीयर व बनियान , प्रसाधन सामग्री, कोल्ड ड्रिन्क, जूते, चप्पल, नमकीन, आचार, इत्यादि आदि की सुविधा दी गई है । ये कैन्टीन सभी केन्द्रीय कारागारों और जिला कारागारों में हैं और यह कैण्टीनें जेल कैण्टीन मैनेजमैन्ट, नियम 1965 अनुसार चलाई जा रही है । सभी जेलो में पारर्दशिता हेतु कैश लैस केंटीन की सुविधा नये सौफटवेयर के साथ शुरू करने की प्रकिया 1/4/2015 से प्रारम्भ की जा चुकी है। जेल केण्टीन पर सस्ता व अच्छी गुणवता का सामान बेचा जा रहा है और सामान प्रसिद्व डीलरस जैसे मैटरो, बेस्ट प्राइज व अन्य ब्रांडड दुकानों इत्यादि से उचित मूल्यों पर खरीदा जाता है ।

11. भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दिया। समय–2 पर बन्दियो को उनकी रूचि के अनुसार उद्योग तथा आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। तकनीकी विभाग हरियाणा की सहायता से 16 जेलों मे दौ या तीन ट्रेडस मे जैसे पलम्बरिंग, बिजली, व कम्पूटयर डाटा ओपरेटर मे बन्दियों को तकनीकी प्रषिक्षण देने हेतु प्रकिया आरम्भ की जा चुकी है। लगभग 4411 बन्दी इन व्यवसायिक प्रषिक्षण हेतु अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं ।

12 "प्रीजन इंमेट कालिंग सिस्टम" जिला जेल पानीपत, पलवल व रिवाडी को छोडकर बाकि सभी जेलो मे स्थापित किये गये हैं। अब सरकार ने बन्दियो को इस सुविधा से बात करने की सीमा अवधि 10 मिन्ट से बढाकर 35 मिन्ट प्रति सप्ताह तथा महिला बन्दियों के लिये 60 मिन्ट प्रति सप्ताह कर दी है जिससे बन्दियों के परिवारगण, जो कि दूर रहते है, को यात्रा व्यय व समय की बचत मे सहायक होगी

13 सभी जेलो मे नये मुलाकात कक्ष आधुनिक मुलाकात सुविधाओं सहित स्थापित किये जा चुके हैं ।

(डा0 एस0एस0 प्रसाद, भा0प्र0से0)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा

5

समालोचना

31–12–2016 तक हरियाणा में 18096बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष 2016 के अन्त में बन्दियों की संख्या 17,654 थी। इस वर्ष जेल में अधिकृत क्षमता तथा बन्दियों की संख्या का अनुपात काफी संतोशजनक रहा। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार प्रर्याप्त है । पानीपत व रिवाडी मे 2000 बन्दियों को रखने हेतु नई जिला जेल का निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिला जेल सोनीपत मे महिला वार्ड का आरम्भ चुका है जहां पर सोनीपत व उसके नजदीक जिलों की महिला बन्दियो को रखा जा रहा है ।

2. वर्ष 2016–17 में जेलों से ~~फरारी की~~ कोई घटना नहीं हुई। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई आक्रमण का मामला नहीं हुआ। वर्ष भर में बन्दियों द्वारा आपस में 3 झगडे हुये। पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हडताल भी नही की।

3. कैलेण्डर वर्ष 2016 के दौरान, कुल 219 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तो को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 4780 बन्दियों को पैरोल/ फर्लो पर छोडा गया।

(डा0 एस0एस0 प्रसाद, भा0प्रा0से0)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा

अध्याय–1

1. प्रस्तावना :–

जेल विभाग का 1.4.2016 से 31.3.2017 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा:–

1.श्री के0 सैल्वराज,आई0पी0एस0,
1.4.2016 से 13.5.2016
2 श्री यषपाल सिंगल,आई0पी0एस0,
13.5.2016 से 31.3.2017

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :–

1. श्री सुधीर चौधरी,आई0पी0एस0
   अपर महानिदेषक कारागार हरियाणा
2. श्री जगजीत सिंह, महानिरीक्षक कारागार
3. श्री रत्न सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
4. श्री आत्मा राम, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
5. श्री लखबीर बराड,
   अधीक्षक, जेल हैडक्वार्टर
6. श्री राकेश मित्तल,
   वरिष्ठ लेखा अधिकारी ।
7. श्री जे0एस0 गिल,
   सहायक जिला न्यायवादी ।
8. श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी

II संस्थायें :–

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :–

क.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार 1 एवं हिसार ।	03
ख	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुरूग्राम, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर ।	16
ग	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
घ	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुरूग्राम, अम्बाला, जीन्द, रोहतक एवं हिसार।	08
	कुल जोड़	**28**

III. नई जेलों निर्माणाधीन

जेल में बन्दियों की भीड को देखते हुये निम्न जेलों का निर्माण/भूमि अभिग्रहण निम्न प्रकार से है :–

1. पानीपत मे नई जिला जेल के निर्माण हेतु 47 एकड 6 मरला भूमि गांव सिवाह तहसील व जिला पानीपत मे अधिग्रहण की जा चुकी है I इस जेल का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन पंचकुला द्वारा किया जा रहा है । सरकार से इस जेल के निमार्ण के लिये 7439.00 लाख रूपये की स्वीकृती प्राप्त हो चुकी है । वित्त वर्ष 2016–17 तक इस कार्य के लिये 51.37 करोड रुपयें पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन को दिये जा चुके हैं। प्रथम चरण का निमार्ण कार्य 92 प्रतिषत तथा दूसरे चरण का निमार्ण कार्य 28 प्रतिशत समाप्त हो चुका है। न निमार्ण कार्य प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2017–18 मे इस कार्य के लिये 1000–00 लाख रपये की आवश्यकता होगी तथा **नवम्बर 2018** मे जिला जेल पानीपत का निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान है ।
2. रिवाडी मे नई जेल बनाने के लिये गांव फिदेहडी तहसील व जिला रिवाडी मे 50 एकड 2 करनाल 12 मरला भूमि उपलब्ध है। नई जिला जेल निमार्ण के लिये 5781.00 रूपये की स्वीकति प्राप्त हो चुकी है। नई जेल मे रिहायषी मकानो का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है और जेल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस जेल का निमार्ण दिसम्बर 2017 मे पूर्ण होने की सम्भावना है I
3. नई मेवात जेल 29 एकड 4 कनाल 3 मरला भूमि गांव सलांबा तहसील नूंह जिला मेवात मे उपलब्ध है। इसके निमार्ण पर 7390.00 लाख रुपये का खर्चा होगा जिसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इस जेल का निमार्ण कार्य हरियाणा पुलिस हाउसिंग कोरपोशन द्वारा किया जायेगा। वित्त वर्ष 2017.18 मे कोरपोरेशन द्वारा जेल निमार्ण के लिये टेंडर निकाल दिया गया है और जेल का निमार्ण कार्य शीध्र आरम्भ होने की संभावना है।
4. नई जिला जेल पलवल के लिये भूमि अभिग्रहण हेतू 65 एकड 15 मरला भूमि गांव पलवल तहसील व जिला पलवल मे की जा चुकी है तथा भूमि अधिग्रहण की सैक्षन 4 एवं 6 की अधिसूचना सरकार के यादी कमांक 31/12/2010–4जेजे ।। दिनाक 1.4.2014 द्वारा जारी की जा चुकी है । भूमि के मालिकों द्वारा भूमि अभिग्रहण न करने बारे रिट पैटीषन नं 18521 आफ 2014 व 2047 आफ 2015 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मे दायर की है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8/9/2014 को पारित आदेशो के तहत आगामी आदेशों तक स्टे दे दिया है तथा मामला अभी उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो उपरांत ही इस जेल का निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

5. पंचकूला जिला में नई जेल के निमार्ण हेतु गांव बाढ तहसील कालका जिला पंचकुला मे 50 एकड भूमि चयन कर ली गई है। अभी तक नई जेल बनाने के लिये भूमि अभिग्रहण करने की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई है परन्तु सरकार द्वारा भूमि अभ्रिगहण से सम्बन्धित भूमि अभिग्रहण नियम फाइनल नहीं किये गये जिसके कारण अभी भूमि अभिग्रहण नहीं की जा सकती है ।

6. फतेहाबाद मे नये जेल भवन के निर्माण हेतू 64 एकड 2 करनाल 19 मरला भूमि गांव धांगड तहसील व जिला फतेहाबाद मे अभिग्रहण करने हेतु प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई है परन्तु सरकार द्वारा भूमि अभ्रिगहण से सम्बन्धित भूमि अभिग्रहण नियम फाइनल नहीं किये गये जिसके कारण अभी भूमि अभिग्रहण नहीं की जा सकती है।

7. डबवाली मे एक आधुनिक बहुमंजिला जेल बनाने की योजना है ।जिसके लिये विभाग डबवाली मे सरकारी/पंचायती भूमि का चयन किया जा रहा है।

8. चरखी दादरी मे नये जेल भवन के निमार्ण हेतु लगभग 50 एकड भूमि के चयन हेतु उपायुक्त चरखी दादरी को लिखा जा चुका है।

9. हांसी मे नये जेल भवन के निमार्ण हेतु भूमि के चयन हेतु प्रकिया शुरु की जा रही है।

10. जिला जेल सोनीपत मे महिला बैरक का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है और साथ लगते जिलो की महिला बन्दियो को जिला जेल सोनीपत के महिला विंग मे परिरुध कर दिया गया है

11. कुछ जिलो की जेलों मे क्षमता से अधिक भीड को समायोजित करने हेतु उन जेलों के विस्तार एवं अतिरिक्त बैरके बनाये जाने की प्रक्रिया भी चल रही है । जैसे केन्द्रीय जेल, अम्बाला, हिसार–II, जिला जेल, भिवानी, जीन्द, सिरसा, सोनीपत कैथल आदि ।

12. कुछ जेलों पर रिहायषी मकानों की कमी है वहां पर भी अतिरिक्त रिहाशी मकान बनाये जाने की प्रकिया चल रही है जैसे हिसार–11, जिला जेल, भिवानी, आदि। केन्द्रीय जेल, हिसार– 1 व जिला जेल कुरुक्षैत्र मे रिहायशी भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

IV <u>सुधार तथा सुविधायें :–</u>

वर्ष 2016–17 में जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही । बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. <u>पैरोल/फरलो</u> :–

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देरी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी । दिनांक 1.10.2012 को पैरोल एक्ट में संशोधन किया गया । कैदियों को ज्यादा सुविधा प्रदान

करने के लिये पैरोल अधिनियम में दिनांक 21.2.2014 व 18.9.2015 को संशोधन किये गये । वर्ष 2015 मे कुल 4,780 कैदी बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया ।

ख. समय पूर्व रिहाई :–

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे नीति को अपने यादी कमांक 46/23/2000–4जेजे–।। दिनांक 12.04.02 द्वारा संषोधित किया था। इस नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा जेल में 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सज़ा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करूणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा जेल में 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था । हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी कमांक 36/135/91–1जेजे–।। दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार बनाम जगदीश की रिट पैटीशन में पारित आदेष 22.3.2010 जोकि क्रिमिनल अपील नम्बर 566 आफ 2010 (Arrising out of SLP) Crl. Mic. No. 6638 of 2009) में पारित को ध्यान में रखते हुये बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के केसिज का निर्णय लेने हेतू उनकी सजा की तिथि के समय से जो पोलिसी लागू होती है, उस बन्दी का समयपूर्व रिहाई केस उस पालिसी के अनुसार निर्णय लिया जाऐ के आदेश पारित किये गये थे । सर्वोच्च न्यायालय ने WP(crl.)No. 48 @2014 "Union of India Vs.V. Sriharan Murugan & Ors." में दिये गये आदेष दिनांक 9.7.2014 के अन्तर्गत ऐसी रिहाहियों पर रोक लगा दी गई है थी। इसी मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनाक 23/7/2015 को आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई पर लगी रोक हटा दी गई। जिस उपरांत वर्ष 2016 में 129 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुये सरकार की सम्बन्धित पालिसी अनुसार समय पूर्व रिहा किया गया ।

ग कैदियों की बदली :–

कई कैदियों के रिस्तेदारों तथा मित्रों को मुलाकात करने में वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब कैदियों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नज़दीक की जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके परिवार वाले तथा मित्रों को कैदियों से मिलने में कठिनाई ना हो।

घ विडियों कांन्फ्रेसिंग

19 जेलों के साथ विभिन्न न्यायालयों के साथ विडियो कान्फैसिंग सुविधा चल रही है । बन्दियों की पेशी विडियो कान्फैसिंग द्वारा भी करवाई गई है। जेल रिर्फामस कमेटी की सिफारिशें अनुसार दिनांक 15.1.2011 से बन्दियों के रिस्तेदारों जोकि राज्य की अन्य जेल में बन्द है, की मुलाकात आपस में विडियो कान्फैसिंग सुविधा से करने की अनुमति दी जा चुकी है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार–1, जिला जेल करनाल, गुडगावां, भिवानी, सिरसा, नारनौल, यमुनानगर, पलवल व पानीपत मे सौफटवेयर वीडीयो कोंन्फेसिंग सुविधा हेतु लगाये हैं । माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक कोर्ट रुम मे एक वीडियो कोफ्रेसिंग सुविधा प्रदान की जाये। तदानुसार सरकार को प्रत्येक जेल पर चार व पांच वीडीयो कफ्रेफोसिंग रुम स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशी इस सुविधा से करवाई जाये ा

च. कैन्टीन :–

केन्द्रीय तथा जिला जेल बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, चाय, गुड, घी, साबुन, तेल, बिस्कूट, धूप, दूध, अडरवीयर, बनियान, कोल्ड ड्रिन्क, जूते, चपपल, नमकीन, देसी घी, आचार, प्याज, दंत ब्रुश, दंत पेंस्ट, इत्यादि आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में अनधिकृत वस्तुओं पर नियन्त्रण रहा है और यह कैण्टीनें जेल कैण्टीन मैनेजमैन्ट, नियम 1965 के तहत चल रही है । दिनांक 1/4/2015 से सभी जेलो में नये सौफटवेयर के साथ कैश लैस कंटीन की सुविधा प्रारम्भ करने हेतु प्रकिया प्रारम्भ की गई है ा जेल कैण्टीन से वर्ष 2016–2017 में 1,10,35,297/–रपये का लाभ हुआ जो पैसा बन्दियों के कल्याण हेतू खर्च किया जाता है । पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 में जेल कैण्टीन से 97,07,784/– रुपये .का लाभ हुआ जोकि इस वर्ष कुल रूपये 13,27,517/– रुपये के लाभ में वृद्वि हुई । केण्टीन की बचत से ही बन्दियों हेतु नया फौनिक्स सौफटवेयर चालू किया गया है। वार्षिक रखरखाव का खर्चा भी केण्टीन फण्ड से ही वहन किया जाता है।

छ बन्दी पंचायतें :–

भिन्न–2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन, भोजन वितरण, केण्टीन प्रबन्धन, खेल एवं सांस्कृतिक कार्या आदि में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

ज माफी :–

जिन बन्दियों ने उत्कृषट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें अधीक्षक जेल, महानिदेषक कारागार, राज्य सरकार व महामहिम राज्यपाल द्वारा विषेष माफी प्रदान की गई :–

1	1.11.2016	240 दिन	हरियाणा दिवस को गोल्डन जुबली मनाने के अवसर पर

झ पंखे :–

बन्दियों को बैरकों में छत वाले पखें लगे हुऐ हैं ताकि गर्मी के मौसम में बन्दी बैरको मे आराम से रह सके ।

ण पानी की व्यवस्था:–

बन्दियों के लिये जेलों मे स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई । बन्दियों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने हेतु आर0औ0 सिस्टम एवं वाटर कूलर उपलब्ध करवाये गये हैं । कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

त गन्दे पानी का निकास :–

सभी जेलो मे मल निकासी की उचित व्यवस्था उपलब्ध है और भी जेलो मे बन्दियों हेतु देसी व यूरोपियन ष्षौचालय सीटे लगाई गई है व सभी ष्षौचालयों मे टाइलस व एक्जोहट फैन की भी व्यवस्था है । अतः इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

थ बन्दियों का मनोरंज़न :–

बन्दियों के मनोरज़न के लिए जेलों में टेलिविज़न सैट उपलब्ध है जिनसे दूरदर्षन व डी0टी0एच0 के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। किषोर बन्दियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंगा–रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। वर्ष 2016 मे जेल अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओ द्वारा 505 व्याख्यान, 161 ड्रामें तथा 161 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। इसके अलावा जेलो मे लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमे बन्दियों को पढने हेतु अखबार व मेग्जीन उपलब्ध करवाये जाते है इससे उनके दैनिक विषयों पर ज्ञान बढता है

4. भौतिक, शारिरिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध :–

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न–2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यक्मों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि खेल, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातःकाल योग तथा सांय काल की प्रार्थना नियमित रूप से करवायी जाती है। साथ ही वालीबाल, कबडडी आदि कीडाओं का भी प्रबन्ध है। नैतिक विचारो पर जैसे सत्य, अंहिसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग, आदि विषायों पर स्टाफ तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा व्याखानो का प्रबन्ध किया जाता है ।

ट. <u>वार्डर गार्द :–</u> वार्डर गार्द के हर प्रकार की व्यवस्था एवं प्रबन्धन हेतु हैडक्वार्टर मुख्य कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा, पंचकुला में स्थित है। वार्डर गार्द की अधिकृत सख्या निम्न प्रकार है :–

पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुऐ पद	रिक्त पद
मुख्य वार्डर	255	249	06
वार्डर	2368	1959	409
महिला मुख्य वार्डर	48	.	48
महिला वार्डर	138	129	09

VI. <u>जेल निरीक्षण :–</u>

<u>वर्ष</u> 2016 मे विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

❖	स्वास्थय अधिकारी	959
❖	कार्यकारी अधिकारी	149
❖	जूडिषियल अधिकारी	800
❖	अन्य	190

VII <u>चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे :–</u>

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2016–17 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

अध्याय –2

1 उद्योग

वित्त वर्ष 2016–17 में कुल उत्पादन रूपये 78,31,316/– रुपये का हुआ एवं वित्त वर्ष2015–16 में कुल उत्पादन 51,30,655/– रुपये का रहा जो पिछले वित्त वर्ष से 27,00,661/– रुपये की बढोतरी हुई।

कृषि फार्म

वर्ष 2015–2016 मे जेल कृषि फार्म को ठेके पर दिया गया जिससे रुपये 17,83,199/– का लाभ हुआ था I वर्ष 2016–2017 मे जेल फार्म मे उपलब्ध भूमि पर फसल व सब्जियां उगाई गई जिसमे रुपये 27,71,739/– का उत्पादन हुआ।

2 निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में निम्नलिखित जेलों की कैण्टीन की बिकी का ब्यौरा :–

NAME OF JAIL	CANTEEN	
	SALE	PROFIT
CJ AMB	80,98,039	78,8532
CJ HISAR-1	20,12,108	14,6721
CJ HISAR-2	94,80058	5,78,187
DJ BHIWANI	52,97,902	5,49,440
DJ PALWAL	1,42,641	10730
DJ KAITHAL	8758459	556882
DJ ROHTAK	1819169	199179
DJ SONEPAT	14543110	1336715
DJ SIRSA	3892672	338751
DJ KARNAL	22336446	1726484
DJ KKR	3510541	292519
DJ REWARI	219806	23853
DJ GGN	15169948	1632310
DJ YNR	5074783	493748
DJ JIND	4159224	304831
DJ NNL	4061549	205942
DJ PPT	0	0
DJ FBD	12757270	1477080
DJ JJR	7317134	373393
TOTAL	128650859	11035297

III-कपड़ा :–

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढ़ग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतू कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मषीनों के झांडन/बस्ते/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मषीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारू रूप से पूरी की जा रही है।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सज़ा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगें, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगें। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय –3

VIII- जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। कैण्लेण्डर वर्ष 2016 में इस स्कूल में 1142 वार्डर तथा हैड वार्डरों को प्रशिक्षण दिया गया । इस संस्था में जेल मैनुअल, कारागार प्रशासन, कानून, किमिनालोजी, साईकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग–धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण मे कैदियों में सुधार के साथ–2 अभ्यस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार करने के उपायों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा राज्य के जेल अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, इसलिये उन्हें अन्य संस्थानों पर भी प्रषिक्षण के लिए भेजा जाता है ।

2. महिला बन्दियों हेतु जेलो मे व्यवस्था:–

हरियाणा में 1976 में महिला बन्दियों हेत कोई अलग कारागार नहीं थी और उन्हे केन्द्रीय जेल अम्बाला में ही एक अलग वार्ड में रखा जाता था । यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए वर्ष 1976 मे हिसार में एक महिला जेल भवन निर्माण किया गया और उनकी सुरक्षा, प्रबन्धन एवं देखभाल हेतु अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, महिला मुख्य प्रहरी व महिला प्रहरी भी नियुक्त किये गये। परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि इस प्रकार सभी महिला बन्दी अपने परिवारों से काफी दूर हिसार में ही बन्द हो जाती थी । एक ही अभियोग में अभियुक्त होने पर महिला बन्दी हिसार में होती थी और उसके रिस्तेदार बन्दी हरियाणा की अलग अलग जेलों में होते थे । अदालतों में पेश करने के लिये लम्बा सफर तय करना पडता था । वर्तमान मे महिला बन्दियों को अधिक सुविधाऐं प्रदान करने व उन्हे सुरक्षित बन्द रखने के साथ साथ पढाई एवं कौषल कार्यो मे निपुण एवं सक्षम बनाने हेतु लगभग सभी जेलो मे पूर्ण महिला वार्ड बनाये गये हैं और नई बन रही जेलो मे भी पूर्ण सुविधायुक्त एवं सुरक्षित महिला वार्डो का निमार्ण किया जा रहा है ा

वर्ष 2016 में जेल में हुई बन्द महिला बन्दियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:–

1.1.2016 को कुल महिला बन्दियो की संख्या	वर्ष भर मे सीध या बदली द्वारा जेल में आये महिला बन्दियों की संख्या	वर्ष भर मे रिहा की गई महिला बन्दियों की संख्या	31.12.2016 को कुल महिला बन्दियों की संख्या
723	1980	2048	655

कैलेण्डर **वर्ष 2016 में** हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक अधिकतम संख्या 739 रही है । **महिला बन्दियों** के लिये जेलो मे उनकी पढाई हेतु इग्नू केन्द्रों की स्थापना करने के साथ साथ उन्हे **व्यवसायिक प्रशिक्षण** प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है ।

3. **छोटे बच्चों** का ब्यौरा :–

छः वर्ष की आयु तक के बच्चो को जेलो में अपनी मां, दादी व नानी के साथ रखने का प्रावधान है। इन बच्चो को विषेश भोजन, खेल, मनोरंजन, पढाई एवं स्वास्थय सेवाओं का पूर्ण प्रबन्ध है। हरियाणा की सभी जेलो मे 31/12/2016 को 49 बच्चे बन्द थे ।

अध्याय –4

IX- बंदी संख्या :–

हरियाणा की जेलों में बन्दियों की संख्या 31–12–2015 को 18,269 थी और यह संख्या 31.12.2016 को 17654 हो गई।

2. बन्दियों का प्रवेश तथा निकास

क. कैदियों की संख्या 1.1.2016 को 7,780 थी। वर्ष भर 5,697 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सज़ा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आयें और 5,260 बन्दियों की रिहाई के बाद 31.12.2016 को कुल 7,217 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. बन्दियों की औसत दैनिक संख्या 1.1.2016 से 31.12.2016 तक 18,643 रही थी। सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 18,280 थी ।

घ नज़रबदं :– पूरे वर्ष में कोई दोषी नजरबंद नहीं रहा ।

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय :–

वर्ष के अन्त में सिद्व दोषियों का धर्म, आयु, तथा षिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :–

तालिका –1

धर्म	बन्दियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	49	0.28
मुसलमान	1870	10.60
हिन्दु तथा सिख	15380	87.11
बौध तथा जैन	.	.
दूसरे अन्य धर्म	355	2.01
कुल	17654	100

तालिका–2

अवस्था	बन्दियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से 18 तक	..	..
18 से 30	8839	50.06
30 से 50	7000	39,01
50 से उपर	1815	10.03
कुल	17654	100

4 शिक्षा :–

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	3621	20,51
षिक्षित	14033	79.49
....	....	
क. दसवी से नीचे	6400	
ख. दसवी से स्नातक	5694	
ग. स्नातक	1245	
घ. स्नात्तकोर	265	
ड. तकनीकी ड्रिगी/डिप्लोमा	429	
कुल	17654	100

5. दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
मृत्यु दण्डित	11	0.15
आजीवन कारावास	3248	45.00
10 वर्ष से 13 वर्ष तक	1485	20.57
7 वर्ष से 9 वर्ष तक	946	13.12
5 वर्ष से 6 वर्श तक	458	06.34
2 वर्ष से 4 वर्ष	379	05.25
1 वर्ष से 2 वर्ष	310	0429
6 महीने से कम	185	02.50
3 माह से 6 माह तक	101	0.140
3 महीने से कम	94	01.30
कुल जोड	17654	100

6. <u>अभयस्थ बन्दी (हैबीच्यूल प्रीजनर)</u>

वर्ष के अन्त में 7217 कैदियों में 80 अभ्यस्थ बंदी थे।

7. **विचाराधीन** बन्दी :–

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 31.12.2016 को 10,489 थी। वर्ष भर में 48,071 ओर विचाराधीन **बन्दी प्रवेष** हुए। इस वर्ष 48,130 बन्दियों को छोडा गया ऐसे बन्दियों की वर्ष के अन्त में संख्या **10,430** थी।

8. बंदियों का स्वास्थय

बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा। बंदियों का स्वास्थ्य स्तर ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिये विषेश प्रयास किये गये व मच्छर मखियों की रोकथाम के लिये दवाईयों का छिडकाव किया गया। स्नानघर, शौचालय तथा भोजनालय के आसपास की सफाई का विषेश ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बन्दियों कीचिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया और डी0औ0टी0 स्कीम के अर्न्तगत सभी बन्दियों को इलाज प्रदान किया गया ।

9. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना :–

23,728 बंदी वर्ष भर 1.1.2016 से 31.12.2016 तक मैडिकल सुविधा हेतू जेल से बाहर में अस्पताल भेजें गए।

जेल विभाग में स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों जैसे डाक्टर/फार्मासिस्ट इत्यादि के पद भरे नहीं हुये थे। चिकित्सा अधिकारीयों का मनोबल उचां करने के लिये विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने हेतु प्रकिया षुरू की तथा सरकार ने नये डाक्टर एवं सेवानिवृत डाक्टरों को जेल विभाग में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000 **से बढाकर 45000 रुपये प्रति माह तथा** conveyance charges 3000 रुपये से बढाकर 5000 रुपये कर दिया।

अध्याय न0 5

उद्धार प्रभार :–

सदाचार बन्दियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम–1958

1. विभाग का कार्यकम :–

विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2016–17 श्री के0सैल्वराज,आईपी0एस0, श्री यशपाल सिगल,आई0पी0एस0, श्री सुधीर चौधरी, आई0पी0एस0 अपर महानिदेशक कारागार, श्री जगजीत सिंह, महानिरीक्षक कारागार, श्री रतन सिंह मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, श्री आत्मा राम मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, श्री लखबीर बराड, अधीक्षक हैडक्वार्टर जेल मुख्यालय, श्रीराकेश मित्तल, मुख्य लेखा अधिकारी, श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायवादी, श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी, के पास रहा।

भाग–।

पंजाब अभ्यासिक दोषी, ;नियन्त्रण एवं सुधारद्ध अधिनियम–1958 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नही पकडा गया।

भाग–।।

परिवीक्षा अधिनियम 1958 :–

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को बिना जेल आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठ भूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। यह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा सारणी न0 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी न0 – 1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 415 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 93व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख–भाल से 31.03.2016 को 70 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति षामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 448 निरीक्षण किए।

सारणी न0– 2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 131 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। . व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 38 व्यक्तियों को बिना देखभाल के षर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ो तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर विभाग में प्रषासन का कार्य संतोषजनक रहा। बन्दियों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुषासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्दियों के कल्याण कार्ये में भी प्रगति हुई।

2. वर्ष 2015–16 में विभिन्न उद्योगों से रूपये 78,31,316/– रुपये का उत्पादन हुआ।

आकड़ों के मध्यनजर निम्नलिखित सूचना निम्न प्रकार से है :–

. 18 से 30 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 50.06 प्रतिषत हो गई।

ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े–लिखों की संख्या 79.49 प्रतिषत रही।

ग. एक वर्ष से 2 वर्ष तक सजा पात्र बन्दियों संख्या 04.29 प्रतिशत हो गई क्यों कि थोड़ी अवधि वालों को विषेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधि की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

ध. 10 वर्ष से 13 वर्ष तक दण्डित बन्दियों की संख्या 20.57 प्रतिशत रही।

ड़ लगभग 82.18 प्रतिशत विचाराधीन बंदी छोडे गये । विचाराधीन बन्दियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लधु अपराध में विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

बन्दियों की षिक्षा, पुनर्वास एवंम समाज में पुर्नस्थापन बारे

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 355 आफ 2014 Kaushal V/s State of Haryana में दिनांक 24.3.2014 को पारित आदेषों की पालना मे बन्दियों को षिक्षा के सम्बन्ध में हरियाणा की सभी जेलो में, जिला जेल रिवाडी, पानीपत व पलवल को छोडकर, राष्ट्रीय खुला विघालय संस्थान व इन्दिरा गांधी ओपन विश्वविघालय स्थापित है जहां बन्दीगण दसवी 10 जमा दौ तथा अन्य उच्चतर षिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि रिहाई के बाद बन्दियों को रोजगार के अवसर मिल सके। इन संस्थानो द्वारा 4756 बन्दियो ने प्राइमरी, प्रोढ,उच्चतर स्तर की षिक्षा तथा कम्पूटर प्रोग्राम की शिक्षा प्राप्त की ।

बन्दियों को व्यवसायिक षिक्षा प्रदान करने हेतु तकनीकी विभाग की सहायता से पलवल पानीपत व रिवाडी को छोडकर राज्य की सभी जेलों में पौलटेक्निक सेंटर स्थापित किये हुऐ हैं जहां

बन्दीगण **कम्पूटर** **ट्रेनिंग**, मोटर रिपेयर एवं बिजली और घरेलू उपकरणों के यंत्र रिपेयर करने व सिलाई कढाई **के षिल्प में** प्रषिक्षण दिया जाता है ।

व्यवसायिक शिक्षा प्रोग्राम– वोकेषनल सैंटर फरीदाबाद ,करनाल, गुरूग्राम और सिरसा जेल में खुला **हुआ है जिन में** विभिन्न प्रकार के कोर्सिस जैसे कारपेटर, बेकरी/ कान्फैक्षरी, वैल्डिंग टैक्नालजी, प्लमबिग, **कटिंग**, सिलाई, टी0वी0 रिपेयर, लाईब्रेरी विज्ञान, योगा, कम्पयूटर डाटा इन्द्राज आपरेटर इत्यादि। इसके **अलावा** हरियाणा राज्य की सभी जेलो मे बन्दियो को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इस साल **4411** बन्दियो ने विभिन्न व्यवसायो मे प्रषिक्षण प्राप्त किया ।

बन्दियों के कल्याणार्थ

1. दुरभाष सुविधा बन्दियों को उनके परिवार जनों के साथ सुख दुख सांझा करने के लिये दी गई है । अतः बन्दियों के कल्याण हेतु दुरभाष सुविधा का शुभारम्भ किया गया। इस सुविधा से बन्दियों के परिजनों के उनके खर्च मे कटौती एवं लम्बी दूरी तय करने के समय को बचाया जा सकेगा। अब सरकार ने इस सुविधा की अवधि 10 मिन्ट से बढाकर 35 मिन्ट प्रति सप्ताह तक कर दी है। महिलाओ के लिये यह सुविधा 60 मिन्ट प्रति सप्ताह कर दी गई है।

2. जिला जेल करनाल व जिला जेल सिरसा मे बन्दियों के लिये ब्रेड बन बनाने के लिये बेकरी यूनिट स्थापित की जा चुकी है ।

3. बन्दियों को उनकी कार्य कुशलता एवं योग्यता के अनुसार मुशक्कत लगाई जाती है और बन्दियों को मिलने वाली वेजिज को सीधे तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंको में खोले गये उनके निजी खातों में राषि जमा करवा दी जाती है । बन्दियों की वेजिस की वर्तमान दरों को बढाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है ।

4. बन्दियों के कल्याण हेतू बेहतर सुविधा वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस मुलाकात कक्ष पलवल/रिवाडी एवं पानीपत को छोडकर अन्य सभी जेलों पर बनाने हेतू स्वीकृति कुल रूपये 4 करोड 70 लाख 70 हजार सरकार के यादी कमांक 31/4/13/4 जेजे ।। दिनांक 18.12.2013 द्वारा प्राप्त हो चुकी है इस समय लगभग सभी जेलों मे आधुनिक सुविधाओं से लैस मुलाकात कक्ष स्थापित किये जा चुके हैं ।

5. सरकार से अनुमोदन उपरान्त जेलो में बन्दियों की भलाई एवं उनके लिये व्यवसाय स्थापित करने के लिये Public Private Partnership Project शुरू किये गये जिसमे सरकार का कोई व्यय नहीं होगा। इस योजना का सरकार के यादी कमांक 31/77/7–4 जेजे ।। दिनांक 9.12.2013 अनुमोदन प्राप्त हुआ है । इस समय कुछ जेलों में यह सुविधा आरम्भ हो चुकी है।

वर्तमान मे जिला जेल करनाल मे प्लास्टिक वार्शरस व डोर मैट का निर्माण कार्य किया जा रहा है **तथा जिला** जेल यमुना नगर मे इंटरलोकिंग टाइलस **बनाने** तथा केन्द्रीय जेल अम्बाला मे फर्नीचर **बनाने का** कार्य किया जा रहा है ı आधुनिक प्रिटिंग प्रेस भी केन्द्रीय जेल अम्बाला मे वर्ष 2014 मे **स्थापित** की जा चुकी है ı

6. जेलो मे परिरुध Drug addicts बन्दियो के इलाज हेतु ने केन्द्रीय जेल हिसार–1 व जिला जेल रोहतक मे Drug De-addicition Centres स्थापित किये गये हैं ताकि Drug Addicts बन्दियो का इलाज जेल मे करवाया जा सके ı इसके लिये सरकार ने साइकेटिक व अन्य स्टाफ स्वीकृत कर दिया है ı

स्टाफ के कल्याणार्थ

1. सरकार ने कर्मचारियों का नैतिक मनोबल बनाये रखने हेतू सभी कार्यकारी स्टाफ का जोखिम भत्ता पुलिस विभाग की तर्ज पर 5000/– प्रतिमास मिल रहा है ।

2. विभाग मे इस समय अनुंबन्ध आधार पवर नये डाक्टर एवं सेवानिवृत डाक्टरों को नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000 plus 5000 conveyance conveyance charges से बढाकर 45000 plus 5000 conveyance कर दिया गया है ı

3. विभाग के वार्डर स्टाफ के कर्मचारियों का हैडक्वार्टर कार्यालय महानिदेषक कारागार हरियाणा के कार्यालय में स्थापित कर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को कम से कम समस्या का सामना करना पडे तथा प्रशासनिक सुविधा भी हो ।

4. विभाग में रिक्त पडे सभी पदों को भरने हेतू सभी सम्बन्धित को मांग पत्र (Requisition) भेजी जा चुकी है और इन रिक्तयों को भरने के सकरात्मक प्रयत्न किये जा रहे है । रिक्त पडे वार्डर स्टाफ के पदो को एक्स सर्विसमैन से भरने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

5. केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गये स्वच्छ भारत अभियान के अन्तगर्त हरियाणा राज्य की जेलो मे व मुख्यालय मे स्वच्छ हरियाणा जेल अभियान मुहिम चलाई गई है ı

6. सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा राज्य की सभी जेलों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवायें गये है ताकि जेल के मख्य संवेदनषील स्थानो की निगरानी हो सके । राज्य की सभी जेलों में और अधिक संख्या में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की प्रकिया चल रही हे ।

7. 14 मोबाईल फोन जैमर चार जेलों पर लगाने के लिये 7.8 करोड रूप्ये का प्रस्ताव हाई पावर परचेस कमेटी में अनुमोदन हो चुका है । पहले चरण में 7 जैमर जिला जेल झज्जर, 5 जैमर जिला जेल सोनीपत, में स्थापित किये जा चुके हे । 1 जैमर जिला जेल गुरुग्राम एवं केन्द्रीय जेल अम्बाला लगाने बारे कार्यवाही मैसर्ज ई0सी0आई0 द्वारा की जा रही हे । कुल 140 जैमर

राज्य की अन्य जेलों पर लगाये जाने है और जिसके लिये 70 करोड रूप्ये दूसरे चरण में 4 जी सुविधा वाले जैमर पर खर्च होने है ।

जिला जेल गुरूग्राम में 17 जैमर लगाये जाने बारे, वर्तमान में लगे 3 जी जैमर को 4 जी जैमर में तबदील करने बारे और अन्य खर्च हाट्रोन के माध्यम से सरकार को वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिये रूप्ये 10,64,07,488/– इस पत्र के कमांक 13316 डी0जी0पी0/जेल/2017/बी04 दिनांक 19.04.2017 स्वीकृति हेतू भेजा गया है ।सी0सी0टी0वी सरविलैन्स सिस्टम चार जेलों गुरूग्राम, अम्बाला, रोहतक एवं फरीदाबाद में लगाने बारे प्रस्ताव हाट्रोन के माध्यम से तैयार किया जा रहा है ।

8. हरियाणा राज्य की जेलो के लिये नये 460 वाकी टाकी सैटस खरीदने का स्वीकृत सरकार से प्राप्त हो गई है और वाकी टाकी सैटस खरीद किये जा रहे है।

9. हरियाणा राज्य की जेलो मे परिरुध बन्दियो की प्रबंधन प्रणाली को सूचारु रुप से चलाने व उचित तरीके से रखने के के लिये व जेलो मे उचित, सृदृढ व प्रभावशाली व्यवस्था बनाये रखने हेतु गुडगावां जेल के एक भूतपर्व बन्दी द्वारा एक साफटवेयर गुरुग्राम जेल मे तैयार किया गया है जिसका नाम Phoenix software है जिसे भारत सरकार, गृह विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया इस साफटवेयर को राज्य की सभी जेलो मे लागू किया जा चुका है।

10. हरियाणा राज्य की जेलो मे सुरक्षा के लिये रुपये 64,68,566-00 निम्नलिखित आधुनिक हथियार व असला खरीद कर लिया गया है :–

Sr.No.	Type of Arms and Ammunition	Qty. in Nos.
1	Pistols 9 mm	69
1	SLR Rifles	330
3	Carbine	60
4	SLR Ammunition	16500
5	Carbine Ammunition	6000
6	9 MM Pistol Ammunition	3450

11. हरियाणा राज्य की जेलो मे परिरुध बिमार बन्दियो के इलाज हेतु दवाईयां हरियाणा मैडिकल कोरपोरेशन हरियाणा द्वारा खरीद किये जाने का प्रस्ताव है ।

12-एक विशेष अभियान के तहत सभी बन्दियो का आधार कार्ड बनवा दिये गये है तथा आधार कार्ड को विभिन्न महत्वपूर्ण स्कीमो के साथ लिक करने के लिये हिदायतो जारी की जा रही है ।

23

13\. वर्ष 2016–17 मे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की त्तवाधान मे निम्नलिखित चार प्रशिक्षण जिला जेल, गुरुग्राम मे करवाये गये जिसमे विभिन्न राज्यो के जेल अधिकारीयो ने भाग लिया :–

क्रम संख्या	कोर्स का नाम	अविध
1	वर्टिकल इंटरऐक्शन कोर्स	26-9-2016 to 30.9.2016
2	सीइंगि इज लर्निग	21-11-2016 to 23-11-2016
	वर्टिकल इंटरऐक्शन कोर्स	9-1-2017 to 11.1.2017
	सीइंगि इज लर्निग	20-2-2017 to 24-2-2017

25/9/17

(डा0 के0पी0 सिंह, आई0पी0एस0)
महानिदेशक कारागार, हरियाणा।

सारणी–1

परिवीक्षा अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट 2016.17 दौरान निरीक्षण में रखे गये परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं0	जिले	प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट वर्ष 2016.17 के दौरान न्यायालयों को भेजे गये।	वर्ष 2016.17 के शुरू होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवीक्षाधीन रखा गया		ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि को समाप्त कर दिया गया	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि ठीक प्रकार समाप्त हुई	जिन्होने परिवीक्षा नियमों का उल्लंघन किया	दूसरे राज्यों व जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजे गये की संख्या	कुल निकाले	31.03.16 के अन्त में परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या	जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया
				राज्य	राज्य से बाहर							
1	2	3	4	5 क	5 ख	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	हिसार	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	12
3.	रोहतक 1	5	32	71	0	22	22	0	0	22	49	46
4.	करनाल	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10
5.	सिरसा 1	0	21	21	0	1	1	0	0	1	0	.
6.	जीन्द	0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुडगावं/फरी	225	03	01	2	0	8	0	37	28	1	197
	दाबाद	164	8	0				8	0	8		221
8.	भिवानी '	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	415	56	93	2	23	31	2	5	23	70	448

24

सारणी–2

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई वार्षिक विवरण पत्र 2016.17

कम स0	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्त्सना करके छोडे गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(3) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	.	19	.	19
2.	हिसार	0	0	0	0
3.	रोहतक	0	0	71	71
4.	करनाल	.0	3	0	3
5.	सिरसा	.	1	21	22
6.	जीन्द	.	0.	0	0
6	गुडगावं /फरीद ाबाद	1	0	01 0	1
7.	भिवानी	0	15	0	15
	कुल	4	38	93	131

POPULATION OF PRISONERS OF HARYANA JAILS FROM 1966 TO 2016

SR. NO.	सन	AUTHORIZED ACCOMODATION	ACTUAL POPULATION
1	1966	3315	2369
2	1967	3315	3479
3	1968	3315	2458
4	1969	3315	2558
5	1970	3538	2726
6	1971	3538	2839
7	1972	3538	3318
8	1973	3538	2677
9	1974	3538	2908
10	1975	3538	2953
11	1976	3538	3504
12	1977	3538	3124
13	1978	3538	2264
14	1979	3538	2893
15	1980	3538	2578
16	1981	3598	2374
17	1982	3598	2815
18	1983	3598	2806
19	1984	3598	3098
20	1985	3633	3379
21	1986	3633	3635
22	1987	3633	3282
23	1988	3633	3596
24	1989	3633	3454
25	1990	3633	4025
26	1991	3633	4443
27	1992	3633	4851
28	1993	3633	5677
29	1994	3603	5694
30	1995	3775	6725
31	1996	3775	6639

32	1997	3775	8167
33	1998	3775	7775
34	1999	3905	8943
35	2000	3905	9510
36	2001	4135	10608
37	2002	5567	11040
38	2003	6882	11408
39	2004	6882	11167
40	2005	9115	11081
41	2006	10587	11796
42	2007	10587	12401
43	2008	10678	13284
44	2009	11752	13904
45	2010	14320	15146
46	2011	16034	15274
47	2012	16964	16490
48	2013	16647	17538
49	2014	16647	18642
50	2015	16718	18269
51	2016	18096	18079

2005	9115	11081
2006	10587	11796
2007	10587	12401
2008	10678	13284
2009	11752	13904
2010	14320	15146
2011	16034	15274
2012	16964	16490
2013	16647	17358
2014	16647	17788
2015	16647	18659
2016	16718	18238
2017	18096	17964